28.01.2025 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित।
अप्रार्थीगण बाद नोटिस तामील के उपरान्त भी
अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधि०
की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रा०
पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी
बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा
पिता प्रज उमेदाजी, जाति- स्रोगा, निवासी
डडुसन के नाम की पैतृक आराजी मौजा- डडुसन
तहसील- सांचौर में पुराना खेत खसरा संख्या
210, 209, 211, 113, की आई हुई थी। जिनके
नवीन खसरा संख्या 1040/534, 1044/535,
528 कुल रकबा 4.54 हैक्टर स्थित
हुए है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक
आराजी है तथा उसमें प्रार्थीगण का जन्मसिद्ध
अधिकार है मगर वादग्रस्त आराजी हक प्रार्थीगण
के पिता अप्रार्थी संख्या 01 लाबा जो 75 वर्षीय
व्योवृद्ध होने तथा अफीम मे बंजाणी होने के
कारण अपने नशे की पूर्ति के लिए हमारी
उक्त पैतृक वादग्रस्त आराजी को बेचान
करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त
आराजी हक प्रार्थीगण की पैतृक आराजी
है तथा हक प्रार्थीगण का कानूनिया वाजि
अर्थ राइट [illegible] वादग्रस्त आराजी
में हक प्रार्थीगण [illegible] 1/4 हिस्सा है
मौके पर हक प्रार्थीगण की रहवास[illegible] है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:07:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा हम प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकियां दी कि मैं वादग्रस्त आराजी को बैच्यान कर उक्त आराजी से हमें के बल पर बेदखल कर दूंगा। ऐसी सूरत में अप्रार्थी 01 को पहिले अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो उक्त वादग्रस्त पैतृक आराजी को बैच्यान कर हमें हमारी पैतृक आराजी से बेदखल कर हमें उसके पैतृक हकों से वंचित कर दिया जायेगा। जिससे हमें अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रुपये-पैसों में किया जाना कतई मुमकिन नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को बाद निस्तारण तक पहिले अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

मैंने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम तथा द्वितीय मिसल बन्दोबस्त, जिनाब सेटफल तथा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी प्रतीत हो रही है। अतः मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि वादग्रस्त आराजी को हस्तांतरण, बैच्यान तथा खुर्दबुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा मौजा डडुसण के वर्तमान खसरा संख्या 1040/534, 1044/535, 528 कुल रकबा 4.54 हैक्टर आराजी [illegible] पर अप्रार्थीगण हाल वाद [illegible] रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें [illegible] अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] पाबन्द किया जाता है। पत्रावली [illegible] अनुसार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:07:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner